

كتاب المرأة المسلمة

(باللغة الهندية)

मुरिलाम महिलाओं
के मसाइल



المكتب التعاوني للدعوة
والارشاد وتنمية الحاليات بالزلفي

كتاب المرأة المسلمة – اللغة الهندية

मुस्लिम महिलाओं के मसाइल



المكتب الناوندي للدعوة والإرشاد
ونوعية الحالات بالإنجليزية



كتاب المرأة المسلمة – اللغة الهندية

إعداد وترجمة : المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي

الطبعة الأولى : ١٤٣٩ / ٦

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي ، ١٤٣٩ هـ

ح

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي

كتاب المرأة المسلمة – الهندية . / المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات بالزلفي . - الزلفي ، ١٤٣٩ هـ

٤٨ ص .. سم

ردمك: ٩٧٨-٦٠٣-٨٠١٣-٩٧-٧

١- المرأة في الإسلام أ. العنوان

١٤٣٩ / ٥٥٤٢

ديوي ٢١٩,١

رقم الإيداع: ١٤٣٩ / ٥٥٤٥

ردمك: ٩٧٨-٦٠٣-٨٠١٣-٩٧-٧



इस्लाम में औरतों का मकाम और मर्तबा

इस्लाम में औरतों के हक्कों की बात करने से पहले अच्छा होगा कि हम पहले दुसरे धर्मों की औरतों के बारे में दृष्टिकोण को जान लें कि उनके नजदीक औरतों की क्या इज़्ज़त है।

यूनान में औरतों को खरीदा और बेचा जाता था। उन्हें किसी भी प्रकार का कोई हक हासिल नहीं था, सभी हक मर्दों के पास थे, उन्हें केवल प्रयोग की वस्तु समझा जाता था। उन्हें पैतृक सम्पत्ति में भी हक प्राप्त नहीं था। यूनान के मशहूर फिलोस्फ़ सुकरात कहता है कि दुनिया की बुराइयों का सबसे बड़ा कारण औरतें हैं। वह आगे कहता है कि औरतें उस जहरीले पेड़ के समान हैं जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत है लेकिन जैसे ही पक्षी उसे खाता है वह फौरन ही मर जाता है।

रोम का मानना है कि औरतों में आत्मा होती ही नहीं है वहां औरतों को न तो कोई पद प्राप्त है और न ही कोई हक। वह सोचते थे कि औरतों में रुह नहीं होती इस लिए वह औरतों पर उबलता हुआ तेल डाल देते थे और उन्हें दीवारों में चुनवा देते थे।

यहाँ तक की वह मासूम औरतों को घोड़ों की पूँछ के पीछे बांध देते थे और घोड़ों को बहुत तेज दौड़ाते थे जिस के कारण औरतों की मौत हो जाया करती थी।



औरतों के प्रति हिन्दुस्तानियों का भी यही दृष्टिकोण था बल्कि औरतों पर अत्याचार करने में वह और एक कदम आगे थे। वह पति के मरने के बाद औरतों को जिन्दा पति की चिता के साथ ही जला दिया करते थे। चीनियों ने औरतों को उस बाढ़ के समान माना है जो खुशियों और दौलत को बहाकर ले जाती है। और एक चीनी मर्द को यह हक था कि वह अपनी बीवी को बेच दे या उसे जिन्दा दफन कर दे यहूदी। औरतों को लानत समझते थे उनका मानना था कि औरत ने ही आदम अलैहिस्सलाम को पेड़ का फल खाने के लिए मजबूर किया था। इसी तरह औरत जब माहवारी हैज़ से होती है तो उसे नापाक माना जाता है जिस के कारण उसका घर और उसके जरिया छुआ हुआ हर सामान नापाक हो जाता है। वह कहते हैं कि यदि औरत का भाई हो तो वह मां बाप की सम्पत्ति का हक़दार नहीं होती है।

नसारा औरतों को शैतान मानते थे। एक नसारा का कहना था कि औरतों में इंसानी जिन्स नहीं है। बोनावन्तुर. पादरी का कहना था कि जब तुम औरत को देखो तो ये मत सोचो कि तुम इंसान को देख रहे हो या किसी खूंखार जानवर को देख रहे हो वह शैतान है और उसकी जिन बातों को तुम सुन रहे हो वह सॉपों की फुंकार है।

अंग्रेजी कानून के अनुसार पिछली सदी तक औरतों को देश का नागरिक नहीं माना जाता था। उन्हें न तो कोई इंसानी हक़ हासिल था और न ही वह किसी चीज़ की



मालिक हो सकती थी यहां तक कि जो कपड़े वह पहनती थी वह उन की भी मालिक नहीं थी।

स्कॉटलैंड की संसद ने सन 1567 में ये कानून पास किया कि औरतों को कोई भी अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। इसी तरह आठवीं शताब्दी में अंग्रेजी संसद ने कहा कि औरतों के लिए इंजील पढ़ना हराम है क्यों कि वह नापाक होती हैं और 586 में फ्रांस के लोगों ने एक कॉन्फ्रंस बुलाई जिस का विषय था क्या औरतें इंसान हैं या इंसान नहीं हैं? इस कॉन्फ्रंस के अंत में उन्होंने पाया कि औरतें इंसान होती हैं। उसे मर्द की खिदमत के लिए पैदा किया गया है। सन 1805 तक इंगिलिश कानून में था कि पति अपनी पत्नी को बेच सकता है और उस समय औरतों की कीमत केवल 6 पौंड थी।

इस्लाम से पहले अरब देश में भी औरत की कोई इज्ज़त नहीं थी। उसे न तो सम्पत्ति में कोई हिस्सा मिलता था और न ही उसे ध्यान देने योग्य समझा जाता था। और न ही उसे किसी प्रकार का कोई हक़ ही प्राप्त था बल्कि कुछ अरब लोग तो अपनी बेटियों को जिन्दा ही दफन कर दिया करते थे।

इस के बाद इस्लाम आया ताकि औरत पर हो रहे अत्याचारों को खत्म कर सके और दुनिया को यह बता सके कि मर्द और औरतें बराबर हैं। इसे भी कुछ हक़ प्राप्त हैं जिस तरह से मर्द को प्राप्त हैं। अल्लाह ताआला फरमाता है:



مُسْلِمٌ خَاتُونٌ كَمْ أَهْكَامٍ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنَّقَاصُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْمٌ خَيْرٌ ﴿١٣﴾ [الحجرات: ١٣]

यानी, ‘ऐ लोगो हम ने तुम को एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है और इस लिए कि तुम आपस में एक दूसरे को पहचानो, कुंबे और कबीले बना दिये हैं। अल्लाह के नजदीक तुम सब में से बाइज़्ज़त वो है जो सबसे ज़्यादा डरने वाला है। यकीन मानो कि अल्लाह जानने वाला और बाख़बर है। (सुरह अल हुजरात 13)

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
وَلَا يُظْلَمُونَ تَقْيِيرًا ﴿١٢٤﴾ [النساء: ١٢٤]

एक दूसरी जगह फरमाया: यानी, ‘जो ईमान वाला हो मर्द हो या औरत और वो नेक आमाल करे यकीनन वह जन्नत में जाएंगे और खजूर की गुठली के बराबर भी उन पर अत्याचार न होगा। (सुरह निसा 124)

आगे फरमाया: [العنكبوت: ٨] **وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا**
यानी, ‘हम ने इंसान को अपने माँ बाप के साथ अच्छा सूलूक करने की वसीयत की है। (सुरह अल अनकबुत 8)

अल्लाह के रसूल سल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ حُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ



अच्छा मोमिन वह है जिस के अख़लाक् अच्छे हों और तुम में से सबसे बेहतर वो है जिन के अख़लाक् औरतों के प्रति सबसे अच्छे हों। एक व्यक्ति ने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा: लोगों में मेरे हुस्न सुलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? आप ने फरमाया तेरी माँ। उस व्यक्ति ने फिर पूछा फिर कौन? आप ने फरमाया: तेरी माँ। उस व्यक्ति ने फिर पूछा, उसके बाद कौन? आप ने फरमाया: तेरी माँ। उसके बाद उस व्यक्ति ने फिर पूछा, उसके बाद कौन? आप ने फरमाया: तुम्हारे पिता। संक्षेम में इस्लाम का औरतों के प्रति यही दृष्टिकोण है।

औरतों के सामाजिक हक्

इस्लाम में औरतों को कुछ सामाजिक हक भी दिये गए हैं यह जरूरी है कि आप उसे जानें और उनको मानें। ताकि एक औरत जब चाहे आप उसे वह हक् दें। वह हक निम्नलिखित हैं:

1. मालिकाना हक्: औरतों को घर, सामानों, फैक्टरियों, बागीचों, सोना . चाँदी और विभिन्न प्रकार के जानवरों आदि जिस की चाहें मालिक बन सकती हैं। चाहे घर में उसका दरजा बीवी का हो, मां का हो, बेटी का हो या बहन का।
2. शादी, पति का चुनाव, खुला करने और नुकसान की सूरत में उसे तलाक का हक् हासिल है।
3. हर उन चीजों के बारे में इल्म हासिल करने का हक है जो औरतों के लिए आवश्यक है जैसे अल्लाह को पहचानने का इल्म, इबादत, को अदा करने का तरीका



سیخنا، اپنے اधیکاروں کو تथا اپنے فرج کی آవاشک جانکاری حاصل کرنا۔ جین اچھے اخلاق کو اپنانا جروری ہے اونکی جانکاری حاصل کرنا، کیونکि اللہ کا فرمान آم ہے جسमें بتایا گया ہے کہ: یا نی، ‘‘یہ بات کو جان لو کہ اللہ کے سیوا کوئی مابود نہیں।’’ اس سلسلے مें اللہ کے رسول سلسلہ ہو اعلیٰ ہی وسائلم نے فرمایا ہے: ‘‘یہ علم کا سیخنا ہر مسلمان پر فرج ہے।’’

4. وہ اورت جیتنا چاہے اپنے مال کا سدکا کر سکتی ہے। اور جیتنا چاہے اپنے نفس پر، اپلاد پر، شوہر پر، والیدے پر خرچ کر سکتی ہے۔ لیکن یہ سभی خرچ فوجوں خرچ کے دायरے مें ہونے چاہیے۔ اس سلسلے مें اورت کا ماملا مرد جیسا ہے۔

5. اسے پسند یا نا پسند کرنے کا ہک حاصل ہے۔ وہ نک اورتوں سے موبہبত رکھ سکتی ہے اور اگر اسکا شوہر ہے تو اسکی ایجاد سے اون سے میلنے جا سکتی ہے اور توہفا دے سکتی ہے۔ اون کو خت لیخ سکتی ہے، اونکا حالچال پूछ سکتی ہے، مسیبات مें اونکی مدد کر سکتی ہے۔ اسی تراہ وہ بُری اور خراب چیزوں سے نظرت کرے اور اللہ کی خاتیر اونھے چوڈ دے۔

6. اپنی ایندھی مें ہی اسے اپنے اک تیہائی مال کی وسیعت کا ہک بھی حاصل ہے کہ اسکے مرنے کے باعث وہ ہر سماں اس وکیت کو دے دیا جائے اور اس پر کسی کو کوئی اتراء کا ہک نہیں ہوگا۔ یہ اس وجہ سے کہ وسیعت کرنا اک وکیتگत ہک ہے جس تراہ سے



यह हक मर्दों को मिला है उसी प्रकार से औरतों को भी प्राप्त है क्यों कि अल्लाह के सवाब से कोई भी बेजार नहीं हैं। बष्टर्ते की वसीयत एक तिहाई माल से ज्यादा की न हो। यह हुक्म मर्द और औरत दोनों के लिए है।

7. लिबास का हकः रेशम या सोना औरत जो चाहे वह पहन सकती है जब की मर्दों के लिये इन दोनों का इस्तेमाल करना हराम है। औरत के लिए रेशमी कपड़े तथा सोना आदि पहनने की शर्त ये है कि वह अपनी जीनत को दूसरों के सामने जाहिर न करें। जैसे की आधे या एक चौथाई कपड़े पहनना या अपने सिर से कपड़ा हटा देना या सीने को खोल देना। ये सब ऐसे व्यक्ति के सामने करें जिस के सामने ऐसा करना जायज हो।

8. औरतों को अपने शौहर के लिए सिंगार करने का हक है। इसके लिए वह सुर्मे का इस्तेमाल कर सकती है अपने गालों तथा होंठों पर सुर्खी लगा सकती है बेहतर से बेहतर जेवर पहन सकती है। परन्तु उसे ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिये, जो गैरमुस्लिम औरतें या गलत काम करने वाली औरतों की पहचान हो, उन्हें उससे बचना चाहिए।

9. औरतों को अपनी पसंद का खाना खाने और पीने का हक है। इस मामले में मर्द और औरत दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। जो चीज़ जायज है वो दोने के लिए है, और जो चीजें हराम हैं उस में भी दोनों बराबर हैं। अल्लाह तआला इर्शाद फरमाता है: यानी, “खूब खाओ और खूब पीओ और हद से न निकलो। यह अमल दोनों जिनसों के लिए है।



شُوہر پر اُورت کے حک

اُورت کے خاس حکوں مें سے اسکے کुछ حک شُوہر پر ہیں। یہ حک جو شُوہر پر واجب ہے بیلکُل وैسے ہी اُورت پر بھی ہیں। جیسے کی اُورت کو چاہیے کی اُلّاہ اور اسکے رسُول کی نافرمانی ن کرنے کے الالاوا وہ اپنے شُوہر کی فرمابارداً ری کرے، اسکے لیے خانا تیار کرے، اسکا بیسٹر ٹیک کرے اسکے بچوں کو دूध پیلائے، اُنکی تربیت کرے، اسکے مال اور یج़ت کی نیگرانی کرے، اپنے نفس کی ہیفاہت کرے، اور اسکے لیے سینگار کرے۔

یہاں اُن ادیکاروں کی بات کی جا رہی ہے، جو شُوہر پر واجب ہے، کیوں کی اُلّاہ تآلا نے فرمایا ہے: یانی، “اُور اُرتوں کے بھی وैسے ہی حک ہیں جیسے اُن پر مار्दوں کے ہیں اُچھا ایوں کے ساتھ۔ ہم اُن ادیکاروں کو اس لیے باتا رہے ہیں تاکہ اک سومین اُورت بینا شَرْم و هَيَا اُرر ڈر و خُوف کے اُنکا مُتَّالبَا کرے اور شُوہر پر واجب ہے کہ اپنی بیوی کے ادیکاروں کو مانے، فیر چاہے بیوی کوچھ ادیکاروں کو ماف کر دے۔ اس ترہ اک بیوی کو جو حک حاصل ہے اُن مें سے کوچھ اس ترہ ہے۔

1. شُوہر اپنی حُسْنیت کے انُوسار بیوی پر خُرچ کرے گا۔ اس مें کپڈے، خانا پीنا، دवا اور گھر شامیل ہے۔
2. بیوی کی یج़ت، جیسم جان، مال اور دین کی ہیفاہت کرے گا۔ کیوں کہ مار्द اسکا نیگہباؤ ہے اور کسی بھی چیز کی نیگہباؤ میں اس چیز کی ہیفاہت اور دेख بال بھی شامیل ہوتی ہے۔



मुसलिम खातून के अहकाम

3. उसे जरूरी दीनी मसाईल सिखाएं और अगर वो ऐसा नहीं कर सकता हो तो उसे दीनी मसाईल सीखने के लिए दीनी और इल्मी मजलिसों में शामिल होने की इजाज़त दे।
4. उस के साथ अच्छा माशरती मआमला करे अल्लाह तआला ने फरमाया है: यानी, उन के साथ अच्छा माशरती मआमला करो “अच्छे मआशरती में ये भी है कि जिमा (संभोग) के दृष्टिकोण से उसके हक को दबाया न जाए, गाली गलौज और बेइज़ज़त कर के उस पर अत्याचार न किया जाए और हुस्ने मआशरती में ये भी शामिल है कि अगर फितना का अन्देशा न हो तो उसे रिष्टेदार के यहां जाने दें। उसे ऐसे काम न दिये जाएं जो उसकी ताकत के बाहर हो उससे अच्छी तरह बातचीत की जाए और बेहतर तरीके से पेश आया जाए। इस वजह से अल्लाह के रसूल سल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ‘‘तुम में से सबसे बेहतर व्यक्ति वह है जो अपने बीवी बच्चों के लिए सबसे बेहतर हो।’’

पर्दा

इस्लाम ने समाज को बुराइयों से बचाने का हर मुमकिन इंतेजाम किया है और अच्छे अखलाक और बेहतर आदाब के जरिया उसकी हिफाजत का इंतेजाम किया है ताकि लोगों का दिल बुराइ से पाक साफ रह सके। इस में शहवत और खवाहिशात को न भटकाया जाए। इस्लाम ने शहवत को भटकाने वाली चीजों पर पाबंदी लगाई है जो फितने का कारण बनती है। इस लिए मर्द और औरतों को निगाह नीची रखने का हुक्म दिया गया है।



मुसलिम खातून के अहकाम

इसी तरह अल्लाह तआला ने औरत की बेइज्ज़ती से बचाव, तथा कमजोर दिल के लोगों को फिले से उसे बचाने और शरारती लोगों से दूर रखने के लिए, बेपर्दगी से, बुरी नजरों से तथा औरतों की अहमियत और इज्ज़त बाकी रखने के लिए पर्दे को वाजिब करार दिया है।

इस्लाम के आलिम लोग औरतों के पर्दे की आवश्यकता पर एकमत हैं। औरतों पर वाजिब है कि वह गैर मर्द से अपने ज़ेब और जीनत को छुपा कर रखें उन पर जाहिर न होने दें। उलामाए कराम का चेहरे और दोनों हाथों के परदे पर दो नजरिया है। पर्दा और उस की आवश्यकता पर कई सारी हडीसें मौजूद हैं। इन हडीसों की रोशनी में ही पर्दे को वाजिब करार दिया गया है। पर्दा करने की कुछ दलीलें इस प्रकार हैं: अल्लाह तआला ने इर्शाद फरमाया:

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَنَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ
لِقْلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب: ٥٣]

यानी, ‘यदि जब तुम नबी की बीवियों से कोई सामान मागा करो तो पर्दे के पीछे से मांगा करो, तुम्हारे और उन के लिए यही कामिल पाकीजगी है।’ (सुरतुल अहजाब 53)

दूसरी जगह इर्शाद फरमाया:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِلَّأَزْوَاجِ كَمَا وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيَّهِنَّ ذَلِكَ
أَذْنَى أَنْ يُعْرَفُنَّ فَلَا يُؤْذَنُنَّ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿الأحزاب: ٥٩﴾



यानी, 'ऐ नबी! अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और मुसलमाना की औरतों से कह दो कि वो अपने उपर अपनी चादरें लटका लिया करें, इससे बहुत जल्दी उनकी पहचान हो जाया करेगी फिर न परेशान की जाएंगी और अल्लाह तआला माफ करने वाला मेहरबान है। (सुरतुल अहजाब 59)

आगे फरमाया:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضِضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَخْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبَدِّلِينَ زِيَّهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلِئَصْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَ عَلَى جُوُرِهِنَ وَلَا يُبَدِّلِينَ زِيَّهُنَ إِلَّا لِبُعْوَلَتِهِنَ أَوْ أَنَائِهِنَ أَوْ أَبَاءِ بُعْوَلَتِهِنَ أَوْ أَبْنَاءِ بُعْوَلَتِهِنَ أَوْ إِخْوَانِهِنَ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَ أَوْ بَنِي أَخْوَاتِهِنَ أَوْ نِسَائِهِنَ أَوْ مَا مَلَكْتُ أَمْيَانِهِنَ أَوِ التَّابِعَيْنَ غَيْرِ أُولِيِ الْإِرْزَيْةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطَّفَلِ الَّذِينَ آتَيْتُهُمْ رَوْأَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَصْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيَّهُنَّ وَتُوَبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيْمَانُ الْمُؤْمِنَاتِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾ [النور: ٣١]

यानी, 'मुसलमान औरतों से कहो कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी अस्मत में फर्क न आने दें और अपनी जीनत को जाहिर न करें सिवाय उसके जो जाहिर है और अपनी गिरेबानों पर अपनी औढ़नी डालें और अपनी आराइश को किसी के सामने जाहिर न करें, सिवाय अपने शौहर के। (सुरह अलनूर 31)

आयशा رजियल्लाहु अन्हाबयान करती है कि



كُنَّ نِسَاءً مُؤْمِنَاتٍ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ
الْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرْوَطِهِنَّ، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِيَنَ
الصَّلَاةَ، لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ

मुसलमान औरतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फजर की नमाज पढ़ने के लिए चादरों में लिपट कर आती थीं फिर नमाज के बाद अपने घरों को वापस जाती थीं तो सुबह के अंधेरे की वजह से कोइ उनको पहचान नहीं पाता था (बुखारी 578 मुस्लिम 645)

आयशा رजियल्लाहु अन्हा बयान करती है कि

كَانَ الرُّجُبَانُ يَمْرُونَ بِنَا وَتَخْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرَمَاتٍ، فَإِذَا
خَادَوْا بِنَاسَدَلْتُ إِخْدَانًا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاءَوْزُونَا كَشْفَنَا هُمْ

लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एहराम की हालत में थे और सवार हमारे सामने से गुजर रहे थे, जब वे हमारे करीब आते तो, हम अपने सिर की चादर सरका कर अपने चेहरे पर लटका लेते और जब वो गुजर जाते तो हम हटा देते थे

आयशा رजियल्लाहु अन्हा ही बयान करती है कि "अल्लाह तआला मुहाजिरों की औरतों पर रहम और करम का मामला करें। अल्लाह ने जब उन पर आयते हिजाब नाजिल की तो उन्होंने अपनी औढ़नियों को दो हिस्सों में बांट लिया और उससे अपने चेहरे को ढक लिया (सही बुखारी)



इस के इलावा भी बहुत सी दलीलें हैं। चाहे पर्दे के बारे में एक मत न हो फिर भी उलामा का इस बात पर एक मत है कि जरूरत की बुनियाद पर औरत का चेहरे को खोलना जायज़ है जैसे बीमारी की हालत में डॉक्टर के पास और उसी तरह से सभी उलामा का इस बात पर भी एक मत है कि फित्ने का डर हो तो चेहरे का खोलना जायज़ नहीं है। जो लोग चेहरे खोलने को जायज़ करार देते हैं, उनका भी मानना है कि अगर फित्ने का डर हो तो ऐसी सूरत में चेहरे का ढकना वाजिब है। आज जब कि हर तरफ फित्ना है, इस का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अकसर औरतें जो अपना चेहरा खोल लेती हैं, अपने चेहरे और आँखों पर सिंगार किया करती हैं, जिस के हराम होने (हुर्मत) पर सभी उलमा एक मत हैं।

इस्लाम ने औरतों पर अजनबी मर्दों से इख्तलात को हराम किया है। यह सभी बातें अख्लाक, खानदान और शराफत की हिफाजत के लिये हैं, इस्लाम बेपर्दा को फित्ने और शहवत को भड़काने वाली चीज़ मानता है। औरत जब घर से निकलेगी दुसरे मर्दों से बात करेगी और बेपर्दा होगी तो ऐसी सूरत में बदनामी होगी और गुनाह करना आसान होगा और औरत पर दस्तदराजी आसान हो जाएगी। अल्लाह तआला इर्शाद फरमाता है:

وَقَرَنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْ بَرْجَاجِ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى [الأحزاب: ٣٣]



मुसलिम खातून के अहकाम

यानी, तुम औरतें अपने घरों में रहो और जमाने जाहिलियत कि औरतों कि तरह बनाव सिंगार कर के ना निकलो (सुरह अहजाब 33)

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मर्दों और औरतों को इख्तलात से रोका है और उन सभी असबाब से मना फरमाया है जो इख्तलात की वजह बनते हैं, चाहे वो इबादत और उससे जुड़ी हुई जगह ही क्यों न हो

कभी कभी औरत को ऐसी जगहों में जाने की जरूरत पड़ जाती है, जहां मर्द होते हैं, जैसे ऐसा कोई जरूरी काम पूरा करना हो और घर में दूसरा कोई न हो जो इस काम को कर सके, या कुछ खरीदारी का काम हो जिससे वो खुद अपने या अपने से जुड़े लोगों के लिए कामकाज का इंतेजाम कर सके या उस के अलावा दुसरी जरूरतें हों तो उसमें कोई हर्ज नहीं है।

लेकिन शर्त ये है कि वह शरीअत की पाबंदी करे यानी बापर्दा निकले, अपनी आराइश को जाहिर ना करे, मर्दों से दूर रहे और उन के साथ इख्तलात न करे।

इस्लाम ने समाज की हिफाजत के लिए जो हुक्म दिये हैं उन में एक हुक्म ये है कि अजनबी औरतों के साथ तन्हाई में मिलने को हराम कहा गया है।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सख्ती से अजनबी औरतों के साथ तन्हाई इख्तियार करने से रोका है। जब कि उन के साथ उन का शौहर या



मुसलिम खातून के अहकाम

दूसरा कोई महरम न हो क्यों कि शैतान नफस को भटकाने के फिराक में रहता है।

हैज़ (माहवारी) और नफास के अहकाम (आदेश)

हैज़ का वक्त और अवधि (मुद्दत)

1. अक्सर 12 से पचास साल की आयु तक की औरत को हैज़ आता है और कभी औरत अपने हालात या माहौल और वातावरण के कारण इस से पहले या बाद में भी हैज़ से होती है।
2. हैज़ की अवधि कम से कम एक दिन और ज्यादा से ज्यादा 15 दिन है।
3. हामला (गर्भवती) का हैज़: औरत जब हामला होती है तो अक्सर हैज़ का खून नहीं आता है। लेकिन हामला औरत को बच्चे की पैदाइश से दो तीन दिनों पहले खून आये और उस के साथ दर्द भी हो तो यह नफास का खून होगा और अगर ये खून बच्चे की पैदाइश से दो तीन दिनों पहले बिना दर्द के आये तो यह खून न तो नफास का होगा और न ही हैज़ का।
4. **हैज़ में पेश आने वाली हालतें या परेशानी,** हैज़ की हालत में पेश आने वाले मामले कुछ इस तरह हैं:

पहली हालत: कमी व बेशी. वैसे तो औरत को हैज़ छह दिन होता है या सात दिन होता है। परन्तु वह छह दिन बाद पाक होती है।



मुसलिम खातून के अहकाम

दूसरी हालत: जल्दी या देर से औरतों की माहवारी या तो महीने के आखिर में होती है। या महीने के शुरू में। औरत जब भी खून देखेगी जो हैज के खून के समान है तो वह हैज़ह हाएज़ा है और जब वह खून खत्म हो जाए तो वह पाक हो जाएगी, चाहे उसे यह अपनी आदत से ज्यादा या कम आये और चाहे पहले आये या बाद में आये।

तीसरी हालत: खून का जर्द या मटमैले रंग का होना अगर खून जख्मों के पानी के रंग का हो या वो जर्द और काले के समान मटमैला हो और यह माहवारी के दौरान आये या उसके बाद पाकी से पहले आये तो वह हैज माना जाएगा और अगर पाकी के बाद आये तो हैज नहीं माना जाएगा

चौथी हालत: हैज में रुकावट। औरत हैज में रुकावट देखे जैसे कि एक दिन खून दिखे और दूसरे दिन न दिखे आदि (वगैरह) इस की भी दो हालतें हैं।

पहली हालत: अगर यह सूरते हाल हमेशा ऐसी ही रहे तो वो हैज का खून होगा और उस पर हैज का हुक्म साबित होगा

दूसरी हालत: इस हालत में औरत को बराबर खून न आये। बल्कि कभी कभी खून आये और उसे पाकी का वक्त मालूम हो। अगर एक दिन से कम में खून बन्द हो तो उसे पाकी नहीं माना जाएगा। या औरत कोइ ऐसी चीज देखे जैसे कि औरत की आदत के अनुसार हैज का खून बन्द होना या सफेद पानी निकलना जो औरत की आदत के अनुसार हैज़ के खत्म होने पर निकलता है।

पाँचवीं हालत: हैज में सूखापन



औरत अगर सूखापन के साथ स्राव देखती है तो ये स्राव अगर पाकी से पहले हैज़ के दौरान हो तो ये हैज़ होगा और अगर ये पाकी के बाद हो तो हैज़ नहीं होगा।

ہایز جا کے لیے ہوکم

1. پہلा ہوکم: हैज़ के दौरान फर्ज और नफिल हर तरह की نमाज़ पढ़ना मना है और न ही उस पर वाजिब है अगर वो एक रकअत नमाज़ पाकी में पा ले पहले या آخिर में तो उस सूरत में उस पर नमाज़ वाजिब हो जाएगी, चाहे वो अब्वल वक्त पाई हो या आखिर वक्त। अब्वल वक्त की مिसाल ये है कि किसी औरत को सूरज डूबने की एक रकत पढ़ने के वक्त की मुद्दत के बाद हैज़ आ जाए तो उस पर पाकी के बाद मगरिब की कजा नमाज़ वाजिब हो जाएगी। इस وजह سे कि वो हैज़ होने से पहले एक रकअत नमाज़ पढ़ने का समय पाई थी। और آخिरी वक्त की مिसाल ये है कि कोई औरत सूरज उगने से पहले एक रकत नमाज़ पढ़ने तक पाक हो जाए तो पाकी हासिल करने के बाद नमाजे फजर की कजा वाजिब हो जाएगी। क्यों कि उसने फजर नमाज़ का इतना वक्त पाया है जिस में एक रकअत अदा हो जाए। जहां तक अल्लाह का जिक्र करने, तस्बीह वगैरह पढ़ने, खाने से पहले بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ कहने, किताब या हदीس पढ़ने और दुआ पढ़ने और उन पर अमीन कहने और कुरआन सुन्ने की बात है तो उन में से कोई भी काम हराम नहीं है। हैज़ के वक्त बगैर छुए कुरआन की जबानी تیلَاوَت करना जायज है। बल्कि जब उसे छूने की जरूरत पड़े, जैसे कुरआन के



मुसलिम खातून के अहकाम

पेज पलटने के लिए, गलतियों को सही करने के लिए, या दूसरी चीजों के लिए तो किसी ओट से छूने में कोई हर्ज नहीं है। मिसाल के तौर पर दोनों हाथों में दास्ताने हो या कोई दूसरी ओट हो।

2. दूसरा हुक्म: हायज़ा औरत पर फर्ज और नफिल दोनों तरह के रोजे हराम हैं। बल्कि उस पर फर्ज रोजों की कज़ा वजिब है। अगर औरत रोजे से है और उस दौरान उसे हैज आ जाए तो उस का रोजा खत्म हो जाएगा, चाहे ये सूरज डूबने से कुछ पहले ही क्यों न हैज़ आये और अगर औरत को सूरज डूबने से पहले हैज का एहसास हो पर हैज सूरज डूबने के बाद जारी हो तो उसका रोजा मुकम्मल होगा। अगर सुबह फज्र के समय औरत हैज से है तो उस दिन का रोजा सही नहीं होगा चाहे वो सुबह फज्र के थोड़ी देर बाद ही पाक क्यों न हो जाए।

3. तीसरा हुक्म: हायज़ा औरत के लिए बेतुल्लाह का तवाफ चाहे वो फर्ज हो या नफिल हराम है। जहां तक दूसरे अफआले हज और उमरा का मसला है, जैसे सफा व मरवा के दौरान सयी करना, मिना में रात गुजारना वगैरह तो उन सभी कामों को अंजाम देना हायजा के लिए हराम नहीं है। इस बुनियाद पर अगर कोई औरत पाकी की हालत में खाना काबा का तवाफ शुरू करती है और तवाफ के फौरन बाद या सयी के दौरान हैज़ आ जाए तो उस में कोई हर्ज नहीं है।

4. चौथा हुक्म: मस्जिद में बैठना: हायजा के लिए मस्जिद में बैठना हराम है।



5. پانچवां ہुکਮ: ہم بیستری شوہر پر ہرام ہے کیا وہ اپنی بیوی سے جیما کرے اور اُرط پر بھی ہرام ہے کیا وہ اپنے شوہر کو اس کا مौکا دے۔ جیما کے اಲاؤ مار्दوں کے لیے اُسے کاموں کو جایوج کیا گیا ہے، جس سے اسکا شہادت ختم ہو سکے جسے بوسا لئنا، گلنے لگانا وغیرہ ।

6. چٹا ہुکم: اپنی بیوی کو ہج کی حالت میں تلاک دینا شوہر پر ہرام ہے । اگر کوئی شاخس اُس کرتا ہے تو وہ اُلّاہ اور اسکے رسول کی مخالفت کرتا ہے اور ہرام کام کرتا ہے । اُسی سوت میں جروری ہے کی اسکو (اکد) شادی میں لٹا لے اور اس کے پاک ہونے تک بآکی رکھے اور چاہے تو فیر تلاک دے । بالکل بہتر تو یہ ہے کی دوسری بار ہج آنے کا انتظام کرے اور اس سے پاک ہونے پر چاہے تو تلاک دے یا اپنی شادی میں بآکی رکھے ।

7. ساتواں ہुکم: گوسل کا واجب ہونا । ہایوج اُرط پر واجب ہے کی ہج سے پاک ہو جائے تو وہ پورے بدن کی پاکی کے لیے گوسل کرے । سیر کے بال خولنا واجب نہیں ہے । یہ تभی کرئے جب بال مجبوٰتی سے باندھے ہوں اور بالوں کی جڈوں تک پانی پہنچن جائے اگر اُرط نماج کے وقت کے دیران پاک ہو تو اسے گوسل کرنے میں جلدی کرنی چاہیے تاکہ وہ نماج کو وقت پر ادا کر سکے । اگر اُرط سفر میں ہو اور اسکے پاس پانی نہ ہو یا پانی ہو پر اسے اسٹیمال کرنے کی سوت نہ ہو یا وہ بیمار ہو اور پانی کے اسٹیمال سے نुکسان کا



मुसलिम खातून के अहकाम

खतरा हो, ऐसी सूरत में वो गुस्स्ल के बदले तयम्मुम करेगी और फिर जब वो ठीक हो जाए तो गुस्स्ल करेगी।

इस्तेहाजा और उस का हुक्म

इस्तेहाजा उस खून को कहते हैं जो हमेशा जारी रहता है कभी बन्द नहीं होता है। या बहुत कम दिनों यानी महीने में दो तीन दिनों के लिए रुकता हो और एक दूसरी बात ये है कि जो खून पंद्रह दिनों से ज्यादा आता है उसे इस्तेहाजा कहते हैं मगर ये कि किसी औरत को पंद्रह दिन से ज्यादा खून आता हो।

मुस्तहाजा की तीन हालत हैं

पहली हालत: इस्तेहाजा से पहले औरत को हैज की मुद्दत मालूम हो तो ऐसी सूरत में वो पहले हैज की मालूम मुद्दत में उस पर हैज के हुक्म साबित होंगे और उस के बाद इस्तेहाजा का होगा और उस पर मुस्तहाजा के हुक्म होंगे। मिसाल के तौर पर औरत को हर महीने के शुरू में छह दिनों तक हैज आता था, फिर उसे इस्तेहाजा तारी होता हो और उसे बराबर खून आने लगे तो उस के लिए हर महीने शुरू के छह दिन हैज के होंगे और उसके बाद जो खून आयेगा वो इस्तेहाजा का होगा, इस बुनियाद पर जिस हायजा को हैज की मुद्दत मालूम होगी उतने समय वह बैठेगी फिर गुस्स्ल करके नमाज़ पढ़े और उस वक्त गिरने वाले खून की परवा न करे।

दूसरी हालत: इस्तेहाजा से पहले औरत को हैज की मुद्दत मालूम न हो, यानी जब से उसे हैज (माहवारी) का



खून आया हो तभी से उसे इस्तेहाजा का खून भी आया हो तो ऐसी सूरत में वो हैज और इस्तेहाजा के बीच फर्क करेगी। उस का हैज काले रंग का या गाढ़ा या बदबूदार होगा तो उस पर हैज का हुक्म साबित होता है और उस के बाद जो खून आयेगा वो इस्तेहाजा का खून होगा। इसकी मिसाल ये है कि औरत ने पहली बार जो खून देखा वो ऐसे जारी रहता है। बल्कि वो दोनों खून के बीच फर्क कर सकती है जैसे दस दिन वह काला खून देखती है और महीने के बाकी दिनों में सुर्ख खून देखती है या दस दिन का खून गाढ़ा होता है और महीने के बाकी दिनों का खून पतला होता है या दस दिनों में हैज की बदबू आती है और बाकी महीने में बदबू नहीं आती है तो पहली मिसाल में काला खून वाला, दूसरी मिसाल में गाढ़ा खून और तीसरी मिसाल में बदबूदार खून हैज का होगा और उस के बाद का इस्तेहाजा का खून होगा।

तीसरी हालत: औरत को न तो हैज की मुद्दत मालूम हो और न ही वह हैज और इस्तेहाजा के बीच फर्क कर पाती हो यानी जब से उस ने खून देखा तभी से खून जारी हो और एक ही जैसा या अलग अलग तरह का हो और शायद वह हैज हो ही न। तो औरत इस बात को माने कि हैज की अवधि हर महीने के छह सात दिन होगी। जब से खून दिखाई दिया जब से हैज की शुरूआत मानी जाएगी इस के अलावा बाकी दिनों का खून इस्तेहाजा होगा।

इस्तेहाजा का हुक्म

मुस्तहाजा के लिए वही हुक्म है जो पाकी के हैं। मुस्तहाजा

मुसलिम खातून के अहकाम

और पाक औरत के बीच कोई फर्क नहीं है सिवाय उस दौरान आने वाली परेशानियों के।

1. मुस्तहाजा के लिये हर नमाज़ के लिए वुजू जरूरी है।
2. जब वह वुजू करना चाहे तो खून देख लेगी और शर्मगाह पर पट्टी बांधेगी ताकि खून रोका जा सके।

नफास और उस का हुक्म

नफास उस खून को कहते हैं जो बच्चे की पैदाइश के बाद या दो तीन दिन पहले दर्द के साथ जारी होता है। जब नफास का खून खत्म हो जाए तो औरत पाक हो जाएगी। अगर खून चालीस दिनों तक भी आये तो वो चालीस दिनों बाद गुस्ल कर लेगी।

इस लिए की नफास की अधिक से अधिक मुद्दत चालीस दिनों की है। अगर इस के बाद जारी खून हैज हो तो उससे पाक होने का इंतजार करे और फिर गुस्ल करेगी।

नफास गर्भ के बाद ही होगा जिस में इन्सान का ढाचां बन चुका हो। अगर वो पैदाइश वाजेह न हो तो वो नफास का खून नहीं होगा बल्कि वो रग का खून होगा और उस का हुक्म मुस्तहजाह का होगा और गर्भ ठहरने के दिनों में इन्सान की तखलीक अस्सी दीन में वाजेह होती है और ज्यादा से ज्यादा नौवे दीनों में।

नफास के भी वही हुक्म हैं जो हैज के होते हैं जिन को उपर बयान किया गया है:



मुसलिम खातून के अहकाम

हैज़ और हमल (गर्भ) को रोकने वाली चीज़ों का इस्तेमाल

औरत के लिए हैज को रोकने वाली दवाइयों का इस्तेमाल दो शर्तों के साथ जायज़ है।

1. पहली शर्त: इस से औरत को नुकसान न पहुंचे अगर हैज रोकने वाली दवा इस्तेमाल करने की सूरत में औरत को नुकसान होता हो तो उस का इस्तेमाल करना जायज़ नहीं
2. दूसरी शर्त: अगर उस का सम्बन्ध शौहर से है तो शौहर की इजाजत से किया जाए।

हैज जारी करने वाली दवाइयों के इस्तेमाल की भी दो शर्तें हैं

1. शौहर की इजाजत

2. इस का मकसद वाजिब इबादतों को छोड़ना न हो, जैसे रोजे छोड़ना या नमाज़ छोड़ देना वगैरह।

हमल रोकने वाली चीज़ों के इस्तेमाल की भी दो शर्तें हैं:

1. इस के इस्तेमाल से हमल ठहरने की हमेशा के लिए रोक दिया जाए तो यह जायज़ नहीं।
2. इस के इस्तेमाल से कुछ वक्त के लिए हमल ठहरने को रोकना, मिसाल के तौर पर अगर औरत को जल्दी जल्दी गर्भ ठहर जाता हो और उससे वह कमजोर हो रही हो जिस की वजह से वह अपने हमल को दो साल या उस जैसी मुद्दत तक रोकना चाहती हो तो वो जायज़ है। बशर्ते कि उसका शौहर इजाजत दे दे और उससे औरत को कोई नुकसान न होता हो।



هذا الكتاب منشور في

